(23) (38)

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय : संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मानदेय एवं सुविधाओं के संबंध में।

वित्त विभाग के पत्र संख्या 4569/वि०, दिनांक 05.07.2002 के द्वारा राज्य में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु एक विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत परिचारित है। वित्त विभाग के पत्र संख्या 60/वि०, दिनांक 08.01.2003 के अनुसार "यदि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी को संविदा पर नियुक्त किया जाता है तो उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि नियत मानदेय के रूप में अनुमान्य होगा।" संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी, जिन्हें प्राप्त अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि नियत मानदेय अनुमान्य है, को महँगाई भत्ता अनुमान्यता के बिन्दु पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में कतिपय विभाग से बार–बार मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है कि अनुमान्य नियत मानदेय की राशि पर सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मियों के लिये लागू महँगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता अनुमान्य होगा अथवा नहीं।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त पृष्ठभूमि को दृष्टिपथ रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति की स्थिति में निम्न रूप में मासिक संविदा राशि एवं अन्य सुविधाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

(क) सेवानिवृत्त के समय प्राप्त मूल वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य नियत मासिक मानदेय की राशि अनुमान्य होगा।

(ख) उक्त नियत मानदेय राशि पर सरकार द्वारा समय–समय पर लागू महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी, जिन्हें सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जाता है और वे सरकार द्वारा आवँटित आवास में नहीं रहते हैं, तो उन्हें वर्गीकृत शहर के अनुसार नियत मासिक मानदेय पर आवास किराया भत्ता अनुमान्य होगा।

3. यह प्रावधान सेवानिवृत्त झारखण्ड राज्य के बोर्ड/निगम/निकाय कर्मियों के मामले पर भी लागू होगा, जिनकी पदसंरचना, वेतनमान एवं सेवाशर्त्त राज्य सरकार के कर्मी की तरह है।

4. पूर्व में निर्गत वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 60/वि०, दिनांक 08.01.2003 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

Scanned with CamScanner

2012 2:58

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले• एवं हक•), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 6/एस–5 (भता)–03/2011-2452/1107 **राँची, दिनांक**-26/11/11

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित, कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके राजपत्र की 100 प्रतियां वित्त प्रशाखा–6ए को उपलब्ध करावें।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 6/एस–5 (भता)–03/2011-2452/1103 **राँची, दिनांक**-26/11/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले• एवं हक•), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 6/एस–5 (भता)–03/2011-2452/1103 **राँची, दिनांक**-26/11/11

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप– कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 6/एस–5 (भता)–03/2011-2452/1103 **राँची, दिनांक**-26/11/11

प्रतिलिपि : वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

Scanned with CamScanner